Form No. III
फर्दअहकाम
(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

बाबरमल बनाम **सरकार**

किस्म मुकदमा **विविध प्रार्थना पत्र (457 CrPC)** नं0 **070** सन् **2021**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.09.2022	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी एवं सहायक लोक अभियोजक उपस्थित। हस्तगत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 457 जा0फौ0 प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा पुलिस थाना मंगलवाड में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट 006/2020 अपराध अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के बाबत् पेश किया गया। उक्त प्रकरण आवेदक प्रवर्तन निरीक्षक डूंगला द्वारा जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत् आवेदन अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 प्रस्तुत किया गया है जो कि प्रकरण संख्या 001/2020(रसद) दर्ज रजिस्टर होकर लम्बित है। उक्त दोनो प्रकरण में जब्तशुदा पदार्थ के निस्तारण का तथ्य एक ही होने से उक्त दोनों प्रकरणों को सुनवाई हेतु एक साथ रखा गया। हाजिर उभयपक्षकारान द्वारा की गई बहस पत्रावली को सुना गया। हमने पत्रावलियों का आद्यौपांत अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावलियों का चिंतन–मनन किया गया। न्यायालय हाजा में मूल प्रकरण प्रकरण संख्या 001/2020(रसद) अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 अनवानी सरकार बनाम दल्लीचन्द वगैराह में निर्णय दिनांक 20.09.2022 से हस्तगत पुलिस थाना मंगलवाड में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट 006/2020 दिनांक 06.01.2020 में दिनांक 06.01.2020 को जब्तशुदा साम्रगी का निस्तारण किया जाकर जब्तशुदा 64ड्रम/12 जरिकेन मय रासायनिक पर्दाथ 12975 लीटर प्रकरण के प्रार्थी बाबरमल पिता परथा जाति डांगी निवासी नारायणपुरा पुलिस थाना मंगलवाड प्रोपराईटर शिव एन्टरप्राईजेज नारायणपुरा, मंगलवाड को सिपुर्द किये जाने के आदेश दिये गये है, उक्त निर्णय की प्रति पत्रावली में संलग्न है। रिकार्ड पर लिया जाता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहती है। अतः प्रकरण में कार्यवाही समाप्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। पुलिस थानाधिकारी पुलिस थाना निकुंभ से प्रेषित अनुसंधान पत्रावली थानाधिकारी निकुंभ को भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही मूल प्रकरण संख्या 001/2020 (रसद) के साथ हम किता रहे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। -S/d- (अरविन्द कुमार पोसवाल) कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़ 20.09.2022 सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official	